न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्या:-04 / 2024 दायर दिनांक:-24.06.2024

जीसीएमएस नं. 2024 / 214

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

---------प्रार्थी

बनाम

1. तेजसिंह पुत्र पूरनसिंह हिस्सा 1 / 2 जाति कुम्हार निवासी सुभाषनगर भरतपुर
2. श्रीलाल प्रजापत पुत्र महानन्द प्रजापत हिस्सा 1 / 2 जाति कुम्हार निवासी सूरौठ

---अप्रार्थीगण--02

प्रार्थना पत्र बाबत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः- 1. पेरोकार सरकार प्रार्थी
2 अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 20-9-24

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण के नाम मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी तहसील सूरौठ के ग्राम सूरौठ स्थित आराजी खसरा न0 2165 रकबा 0.21 है0 एवं 2166 / 1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी 1 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त मौके पर बगैर भू-परिवर्तन प्लॉटिंग एवं निर्माण कार्य कर आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है। जमाबंदी की प्रति संलग्न वाद है।

अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर उक्त भूमि काश्त के उपयोग में न ली जाकर बगैर भू-रूपांतरण अकृषिक प्रयोजनार्थ प्लॉटिंग कर आवसीय कॉलोनी के रूप में उपयोग में ली जा रही है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत अवैध है।

उक्त भूमि अप्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य हेतु दी गई लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना भूमि रूपांतरण अवैध रू[illegible] कर आवासीय कॉलोनी के रूप में उपयोग कर रहा है। राजस्थ[illegible] 177 अन्तर्गत किसी ऐसे कार्य करने वाले किसी व्यक्ति [illegible] है जिसके भंग करने [illegible] विशेष संविदा जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकुल न[illegible], के अनुसार बेदखली [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से कृषि कार्य हेतु प्रदत्त भूमि की शर्तों का उल्लघंन होता है, जिससे राज्य सरकार को अपूर्णीय क्षति पहुचती है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य नियम विरूद्ध

है अतः ऐसी स्थिति में अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सूरौठ स्थित भूमि आराजी खसरा न0 2165 रकबा 0.21 है0 एवं 2166/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी 1 को सिवाचयक घोषित कर अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना विधि अनुरूप एवं न्याय संगत है।

दावा अदालत हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम सूरौठ के आराजी खसरा न0 2165 रकबा 0.21 है0 एवं 2166/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी 1 से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिसमें प्रतिप्रार्थी सं0 1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर जबाव पेश किया। जो निम्नानुसार हैः–

1. मद न0 1 वादपत्र स्वीकार है।
2. मद न0 2 वादपत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। इस में वर्णित आराजीयात अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है प्रार्थी का यह कथन कतई गलत है कि वादवर्णित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा भू संमपरिवर्तन कराये बिना निर्माण कार्य एवं आवसीय कॉलोनी विकसित की जा रही हो, बल्कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा आवारा पशुओं एवं सुअरों से फसल बचाव हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कई वर्षों पूर्व किया गया है जाकि अब कई जगह टूट–टूट गई है।
3. मद न0 3 वादपत्र गलत और स्वीकार नहीं है प्रार्थी का यह कथन कतई गलत है कि वाद वर्णित भूमि को प्लाटिंग कर आवसीय कोलोनी के रूप में उपयोग ली जा रही हो सत्यता स्वरूप इस मद में प्रार्थी द्वारा तथाकथित प्लॉटों की नाम सीमाऐं व प्लॉट धारकों का नाम व प्लाट्स की अवस्थित के बारे में नही लिखा गया है इसलिये प्रार्थी द्वारा इस मद में दर्ज समस्त कथन कतई गलत व बनावटी साबित हो रहे है।
4. मद न0 4 वादपत्र गलत है और स्वीकार नहीं है अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 की शर्तो को कोई उल्लघन नहीं किया गया है और ना हि अप्रार्थीगण बेदखली [illegible] है।
5. मद न0 5 वादपत्र गलत और स्वीकार नहीं है अप्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है कि जिससे राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लघंन होता हो प्रार्थी का यह कथन कतई गलत है कि वादवर्णित भूमि को सिवाचयक घोषित कर भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल कर भूमि को कब्जेराज में लिया जाना न्यायसंगत हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested

6. मद न0 6 वादपत्र कानूनी है कि जो काबिले गौर अदालत है। वादशी से इंकारी है।

विशेष कथन

1. वाद वर्णित भूमि के अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है भूमि सहखातेदारी व कब्जेकाश्त की है वादवर्णित भूमि आबादी के नजदीक होने के कारण आवारा पुशओं एवं सुअरों के नकुसान की वजह से कृषि कार्य नही हो पाने से खाली पडी हुई है।
2. वाद वर्णित भूमि को कृषि कार्य के अलावा अप्रार्थीगण द्वारा अकृषि कार्य या व्यावसायिक कार्य के रूप में नहीं लिया जा रहा है। नाहि भूमि का दुरूपयोग किया जा रहा है, और ना ही उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये कोई हानिप्रद कार्य किया जा रहा है भूमि जिस प्रयोजन के लिये ली गई थी उसी प्रयोजन में लिया जा रहा है।
3. प्रार्थी ने द्वेषता रखने वाले किन्ही व्यक्तियों के द्वारा दी गई गलत सूचना पर बिना मौका निरीक्षण किये व बिना मौका देखें बगैरह एवं बिना सत्यता परखे कतई गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध दावा दायत किया है कि जो कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने से खारिज होने योग्य है।
4. प्रार्थी की ओर से वाद वर्णित कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी हल्का पटवारी रिपोर्ट या अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न पत्रावली नहीं की गई है कि जिसके अभाव में दावा प्रार्थी कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने से खारिज होने योग्य है।
5. अप्रार्थीगण द्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 की किसी भी प्रावधान का कोई उल्लघंन नहीं किया है अप्रार्थीगण द्वारा भूमि की किस्म संपरिवर्तित कराकर ही उपयोग उपभोग में ली जावेगी।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत 2071–2074 की खाता संख्या 546, ऑनलाइन नक्शा ट्रैस एवं उक्त खसरा के फोटो की प्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी पेरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम सूरौठ के आराजी खसरा न0 2165 रकबा 0.21 है0 एवं 2166/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी 1 से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है जिसके

प्रतिउत्तर में अप्रार्थीगण ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र दोहराया गया जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पाया गया कि जमाबंदी संवत 2071–2074 की खाता संख्या 546, ऑनलाइन नक्शा ट्रेस एवं उक्त खसरा के फोटो की प्रति पेश की। प्रार्थी के द्वारा उक्त दावा इस आशय का पेश किया है कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम सूरौल के आराजी खसरा न0 2165 रकबा 0.21 है0 एवं 2166/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी 1 से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है । इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हैं। प्रार्थी के द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य में किसी भी प्रकार से यह साबित नहीं कर पाया है कि उसका खसरा न0 2165 रकबा 0.21 है0 एवं 2166/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी 1 में अप्रार्थीगण द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि का अकृषि में परिवर्तित उपयोग उपभोग किया जा रहा है एवं प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादित आराजीयात पर सुरक्षित रूप से कृषि कार्य करने हेतु बॉउण्डी वाल की गयी है। उक्त विवादित आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी कृषि से अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किये जिससे की उक्त विवादित आराजीयात का बिना संपरिवर्तन कराये कृषि से अकृषि भूमि के उपयोग उपभोग किया जाना साबित नहीं हो रहा है। इस प्रकार प्रार्थी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य व जुबानी सहादत से उक्त प्रार्थनापत्र को साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली